

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 26/2022

1. सुखराम पुत्र खुमाराम जाति नायक साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. इंद्राज पुत्र खुमाराम जाति नायक साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. नानूराम पुत्र खुमाराम जाति नायक साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. हेतराम पुत्र खुमाराम जाति नायक साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. बेगराज पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. लक्ष्मण पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

--वादीगण

बनाम

1. सरबती देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी बीरबलराम जाति नायक साकिन पक्कासहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. हजारीराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन चक 8 डी.ओ.एल तहसील रावला जिला श्री गंगानगर।
3. गोरधन राम पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन चक 6 पी.एस.डी तहसील रावला जिला श्री गंगानगर।
4. भूराराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन चक 8 डी.ओ.एल तहसील रावला जिला श्री गंगानगर।
5. विमला देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी बालूराम जाति नायक साकिन चक 9 पी.एस.बी तहसील रावला जिला श्री गंगानगर।
6. पुष्पा देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी भागीरथ जाति नायक साकिन चक 2 के.एल.एम तहसील रावला जिला श्री गंगानगर।
7. मूर्ती पुत्री सुरजाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति नायक साकिन चक 3 के.एन.डी तहसील रावला जिला श्री गंगानगर।
8. शिवलाल पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन चक 8 डी.ओ.एल तहसील रावला जिला श्री गंगानगर।

31/01/2021  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



9. रोशनी देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी भूराराम जाति नायक साकिन मोहनमगरियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. रुक्मा देवी पुत्री खुमाराम पत्नी भजनलाल जाति नायक साकिन चक 4 ए तहसील अनुपगढ जिला श्री गंगानगर।
11. निराणी देवी पुत्री खुमाराम पत्नी हजाराराम जाति नायक साकिन रामावाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
12. मीरा देवी पुत्री खुमाराम पत्नी कोजूराम जाति नायक साकिन भोजेवाली तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।

--प्रतिवादीगण

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--


1. श्री बलजिन्द्र सिंह सिधु अधिवक्ता --- वादीगण सं. 1 ता 8
2. श्री महेन्द्रपाल सिंह अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 12

निर्णय

दिनांक :- 31/1/2022

वादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से श्री बलजिन्द्र सिंह सिधु अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की ओर से श्री महेन्द्रपाल सिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत तहसील पीलीबंगा के चक 3 एल.जी.डब्ल्यू के खाता स. 166/140 के प.न. 45/276 (5) के किला न. 3, 4, 5/1/228, 5/2/025, 6/1/228, 6/2/025, 7, 8, 13, 14, 15/1/228, 15/2/025, 16/1/228, 16/2/025, 17, 18, 23, 24, 25/1/228, 25/2/025, प.न. 46/276 के मु.न. 4 के किला न. 21 कुल किला 21 कुल क्षेत्रफल 4.048 हैक्. नहरी मय गैर मु. खाला कृषि भूमि का वादीगण संख्या 1 से 8 को ब. हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 31/1/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

  
 (रणजीत कुमार) एवं  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 पीलीबंगा